200

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AN 913153

कोषागार, झाँसी

नवल

भूमि मूल्यांकन सूची – पेज नम्बर 108 वी कोड 0331 के अनुसार भूमि दर 47,00,000/–रू0 प्रतिहैक्टेयर

स्टाम्प का योग	–	14,000/– रू0
दस्तावेज का प्रकार	–	बैनामा कृषि
विक्रय मूल्य	–	1,90,000/– रू0 नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।
बाजारू कीमत	–	1,93,000/– रू0
मौजा	–	मैरी

नवल

शामिल मिसिल

तहसीलदार
झाँसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 913154

(2)

कोषागार झाँसी
मुख्य कोषाधिकारी

ब्लाक	–	बड़ागांव
सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषिभूमि
मापन की इकाई	–	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.041 हैक्टेयर

सड़क की स्थिति– उक्त आराजी किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग / फोर लाईन व किसी भी सर्वत्रऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है व आबादी से 200 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

प्रथम पक्ष की संख्या	–	एक
द्वितीय पक्ष की संख्या	–	एक

नवल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 330721

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष – श्री नवल पुत्र स्व0 श्री ठाकुर दास निवासी– ग्राम मैरी, तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या ZTU2181832 से की गई है)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष– अशोक इन्फ्रा प्रोपर्टीज प्रा0लि0 143 त्रिभुवन काम्पलेक्स ईश्वर नगर मथुरा रोड नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री राकेश यादव निवासी – 130/ए. सी0पी0मिशन कम्पाउण्ड तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान पेन कार्ड संख्या DFHPS5779M से की गयी है)

नवल

Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 330722

सम्पत्ति का विवरण- आराजी भूमिधरी वाकै मौजा मैरी ब्लाक बड़ागांव परगना व जिला झाँसी की है जिसका खाता संख्या 00087 आराजी नम्बर 359 रकवा 0.648 हे0 का 3/4 भाग यानि रकवा 0.486 हे0 में से रकवा 0.041 हे0 अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को वय किया गया है वयशुदा आराजी मे विक्रेता का कोई भी अंश शेष नही रहा है उक्त आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं उक्त आराजी में कोई पेड़ व कूप आदि नहीं है आराजी मुवैया नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है उक्त आराजी कृषकीय भूमि है जो कृषि के लिए वय की जा रही है। दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रयशुदा नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है। जो बैनामा का अंश भाग है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। उक्त आराजी लगान अदा करने वाली कृषिकीय भूमि है

नवल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 215166

जिसका लगान 1 रूपया सालाना है उक्त आराजी विक्रेता की पैत्रिक सम्पत्ति है। उक्त आराजी मे क्रेता सहखातेदार है।

दस्तावेज हाजा मे उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0–5–462/11–2006–500 (92)/2005 दिनांक 23 फरवरी 2006 के बाद आंशिक शासन अधिसूचना के क्रम मे दिनांक 30.06.2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं।

यह कि मैं विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त आराजी का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है, न ही उक्त आराजी किसी जमानत, ऋण, डिग्री आदि मे मगफूल है चूँकि मुझ विक्रेता को निजि कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता है अतः मैं विक्रेता अपनी

नवल

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 215248

उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त को विक्रय करता हूँ। कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को वखूबी करा दिया है अधिकार क्रेता आराजी मुवैया खेती करे व अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे, कागजात मालिकान में नाम दर्ज कागजात करावे वय हिवा रहिन करे गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करे आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा व मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा भविष्य में कभी होगा काश किसी कानूनी नुक्श की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा आदि का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता व मेरे वारिसान रहेगें। यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीर शुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यो को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे

नवल

Ravindra

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 215249

फौजदारी, दीवानी,माल,राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादो का दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नही होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख मे मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नही है लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

नवल

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 208010

दिनांक : 08.01.2015

प्रारूपकर्ता : गौरव अग्रवाल वसीका नवीस, तहसील झाँसी

टाईपकर्ता : दीपक , तहसील झाँसी

नवल

गवाह (1)

गवाह (2)

गौरव अग्रवाल दस्तावेज लेख.
तहसील व जिला झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या 2
दिनांक..31-3-20.17..तक विधिमान्य
ली गई फीस रु...

नक्शा –नजरी

विक्रेता का नाम श्री नवल..........

क्रेता का नाम श्री शैलेन्द्र यादव

मौ. ग्रा. मैरी........

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर ३५८

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समपत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

नवल

Shailendra

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

Basit Ali
Approved By J.D.A.
L. N. No...........
Office - 56 Taksal, Jhansi

क्रमांक 6636 दिनांक 27/11/14 5000
नाम 6635
निवास

राजेन्द्र कुमार ला० नं०–170
तहसील–झाँसी

27 NOV 2014

विक्रय पत्र

190,000.00 /	193,000.00	1,930.00	20	1,950.00	700
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी
अस्थायी पता

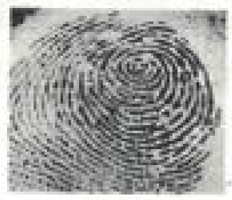

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 8/1/2015 समय 3:26PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम
झाँसी
8/1/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री नवल
पुत्र श्री ठाकुरदास
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

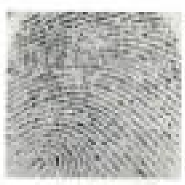

क्रेता

श्री शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
पेशा व्यापार
निवासी 130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी

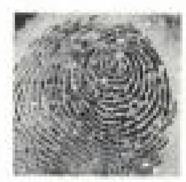

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्रीमती जसोदा
पत्नी श्री ठाकुरदास
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी
व श्री धनश्याम
पुत्र श्री तुलसीदास
पेशा अन्य
निवासी राजगढ तहसील व जिला झांसी
ने की ।

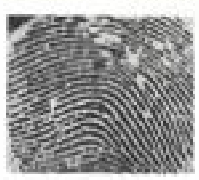

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।
निष्पादकों की पहचान यथाप्रलेख है

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम
झाँसी
8/1/2015

क्रमांक 20338 दिनांक 08/01/15 1000

नाम [illegible]

नेदास [illegible]

राजेन्द्र कुमार ला0 नं0-170
तहसील-झांसी

विक्रेता

Registration No.: 200 Year : 2,015 Book No. : 1

0101 नवल

ठाकुरदास

ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

कृषि

क्रमांक 20339 दिनांक 8/01/15 3000
नाम 20338
खास
राजेन्द्र कुमार ला० नं०-170
तहसील-झाँसी

कार्यालय कोषागार
-6 JAN 2015
झाँसी

क्रेता

Registration No. : 200 Year : 2,015 Book No. : 1

0201 शैलेन्द्र यादव

राकेश यादव

130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी

व्यापार

आज दिनांक **08/01/2015** को

बही सं **1** जिल्द सं **6010**

पृष्ठ सं **223** से **240** पर क्रमांक **200**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी

उप निबन्धक प्रथम

झाँसी

8/1/2015

JHANSI-I JHANSI (U.P.)

न्यायालय तहसीलदार

वाद संख्या = 349/1314

तारीख — 23/2/15

24/2/15